महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय, आजमगढ़

Email- registrar.msduniversity.azamgarh@gmail.com
Website: www.msdsu.ac.in

दिनांक 25.02.2025 मंगलवार को अपराह्न 12:00 बजे महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय, आजमगढ़ परिसर के सभागार में आयोजित कार्य परिषद की 15वीं बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक की उपस्थितिः–

बैठक में सम्मानित सभी सदस्यों द्वारा भौतिक रूप से प्रतिभाग किया गया। उपस्थिति निम्नवत् है–

क्रं.	नाम	पद व सम्बद्धता/पता	कार्य परिषद में दायित्व
1.	प्रो0 संजीव कुमार	कुलपति, महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय, आजमगढ़	अध्यक्ष
2.	डॉ0 प्रेमचन्द यादव	प्राचार्य, डी0ए0वी0 पी0जी0 कालेज, आजमगढ़	सदस्य
3.	प्रो0 शर्वेश पाण्डेय	प्राचार्य, डी0सी0एस0के0 पी0जी0 कालेज, मऊ	सदस्य
4.	प्रो0 बृजेश कुमार	प्राचार्य, श्री दुर्गा जी पी0जी0 कालेज, चण्डेश्वर, आजमगढ़	सदस्य
5.	प्रो0 जय सिंह	प्राचार्य, राजकीय महिला पी0जी0 कालेज, अम्बारी, आजमगढ़	सदस्य
6.	प्रो0 ऋषिकेश सिंह	प्राचार्य, श्री कृष्ण गीता राष्ट्रीय पी0जी0 कालेज, लालगंज, आजमगढ़	सदस्य
7.	डॉ0 ज्ञान प्रकाश वर्मा	क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी मण्डल, वाराणसी	सदस्य
8.	श्री जग नारायण झा	वित्त अधिकारी, महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय, आजमगढ़	विशेष आमंत्रित
9.	श्री विशेश्वर प्रसाद	कुलसचिव, महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय, आजमगढ़	सचिव

मा0 कुलपति जी की आज्ञा से कुलसचिव द्वारा समस्त सम्मानित सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक प्रारम्भ की गई। कुलसचिव द्वारा सभी सदस्यों को बैठक की सूचना (पत्रांक–5644/कु0का0/2025, दिनांक 17.02.2025) व कार्यसूची ई–मेल/व्हाट्सएप तथा फोन के माध्यम से बैठक से पूर्व उपलब्ध करा दी गई थी। कुलसचिव द्वारा मदवार कार्यसूची पढ़ी गई जिस पर कार्य परिषद द्वारा समुचित विचारोपरान्त निर्णय लिए गए।

मद सं0 1– दिनांक 22.10.2024 को सम्पन्न हुई कार्य परिषद की 14वीं बैठक के कार्यवृत्त का अवलोकन कर सम्पुष्टि किया जाना। कार्यवृत्त की प्रति संलग्न है **(परिशिष्ट–1)**।

निर्णय– दिनांक 22.10.2024 को सम्पन्न हुई कार्य परिषद की 14वीं बैठक के कार्यवृत्त का अवलोकन कर कार्य परिषद द्वारा विचारोपरान्त सर्वसम्मति से सम्पुष्टीकरण किया गया।

मद सं0 2– दिनांक 07.02.2025 को सम्पन्न हुई वित्त समिति की 9वीं बैठक के कार्यवृत्त का अवलोकन कर सम्पुष्टि किया जाना। कार्यवृत्त की प्रति संलग्न है **(परिशिष्ट–2)**।

निर्णय– कार्य परिषद द्वारा दिनांक 07.02.2025 को सम्पन्न हुई वित्त समिति की 9वीं बैठक के कार्यवृत्त का अवलोकन कर विचारोपरान्त सर्वसम्मति से सम्पुष्टीकरण किया गया।

मद सं0 3– दिनांक 30.01.2025 को सम्पन्न हुई विद्वत परिषद की 8वीं बैठक के कार्यवृत्त का अवलोकन कर सम्पुष्टि किया जाना। कार्यवृत्त की प्रति संलग्न है **(परिशिष्ट–3)**।

निर्णय– कार्य परिषद द्वारा दिनांक 30.01.2025 को सम्पन्न हुई विद्वत परिषद की 8वीं बैठक के कार्यवृत्त का अवलोकन कर विचारोपरान्त सर्वसम्मति से सम्पुष्टीकरण किया गया।

मद सं0 4– दिनांक 10.12.2024 को परीक्षा समिति की 27वीं बैठक व दिनांक 21.02.2025 को सम्पन्न हुई परीक्षा समिति की 28वीं बैठक के कार्यवृत्त का अवलोकन कर सम्पुष्टि किया जाना। कार्यवृत्त की प्रति संलग्न है **(परिशिष्ट–4)**।

निर्णय– दिनांक 10.12.2024 को परीक्षा समिति की 27वीं बैठक व दिनांक 21.02.2025 को सम्पन्न हुई परीक्षा समिति की 28वीं बैठक के कार्यवृत्त का अवलोकन कर विचारोपरान्त सर्वसम्मति से सम्पुष्टीकरण इस शर्त के साथ किया गया कि परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 10.12.2024 के मद संख्या–1 को आगामी परीक्षा समिति में रखा जाये।

मद सं0 5– विश्वविद्यालय परिसर में शैक्षणिक सत्र 2024–25 में परास्नातक स्तर पर निम्नलिखित 05 विषयों– खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कृषि अर्थशास्त्र, कृषि व्यवसाय प्रबंधन, आतिथ्य और पर्यटन प्रबंधन व गणित में अध्यापन कार्य हेतु अतिथि प्रवक्ताओं की आवश्यकता के दृष्टिगत 05 विषयों/पाठ्यक्रमों में अतिथि प्रवक्ताओं का चयन किया गया है, कार्य परिषद के सूचनार्थ/विचारार्थ प्रस्तुत **(परिशिष्ट–5)**।

निर्णय– विश्वविद्यालय परिसर में शैक्षणिक सत्र 2024–25 में परास्नातक स्तर पर 05 विषयों– खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कृषि अर्थशास्त्र, कृषि व्यवसाय प्रबंधन, आतिथ्य और पर्यटन प्रबंधन व गणित में 10 फरवरी 2025 को आयोजित वॉक–इन–इन्टरव्यू के माध्यम से अध्यापन कार्य हेतु अतिथि प्रवक्ताओं का चयन किया गया है। अतिथि प्रवक्ताओं हेतु रू0 1000/– प्रति व्याख्यान (प्रति घंटा), प्रति माह अधिकतम रू0 40,000/– मानदेय देय होगा। उक्त हेतु विश्वविद्यालय द्वारा किसी प्रकार का मार्ग व्यय/भत्ता देय नहीं होगा। मा0 कार्य परिषद अवगत हुई तथा विचारोपरान्त सर्वसम्मति से सम्पुष्टीकरण किया गया। विश्वविद्यालय के अन्य पाठ्यक्रम में व्याख्यान देने पर अलग से पारिश्रमिक देय नहीं होगा।

मद सं0 6– नये महाविद्यालयों/नये पाठ्यक्रमों के संचालनार्थ सम्बद्धता निर्गत किये जाने सम्बन्धी उत्तर प्रदेश, उच्च शिक्षा अनुभाग–2 के पत्र संख्या 2103/सत्तर–2–2012–2(166)/2002, दिनांक 09.08.2012, के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक 07.02.2025 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में सम्बद्धता समिति के परीक्षण के उपरान्त प्रकरण कार्यपरिषद के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है **(परिशिष्ट–6)**।

निर्णय– नये महाविद्यालयों/नये पाठ्यकमों के संचालनार्थ हेतु दिनांक 07.02.2025 को सम्पन्न हुई सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अवलोकनोपरांत कार्य परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया।

मद सं0 7– शासन द्वारा स्वीकृत एवं भर्ती हेतु अनुमत शैक्षिक पदों पर भर्ती हेतु शासनादेशों में वर्णित व्यवस्थानुसार आरक्षण रोस्टर तैयार कर कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 19.02.2024 द्वारा अनुमोदनोपरांत विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञापन संख्या 01/2024 दिनांक 09.

03.2024 एवं 02/2024 दिनांक 30.08.2024 को जारी किया गया, जिसके सापेक्ष आवेदन–पत्र प्राप्त हो चुके हैं तथा उक्त विज्ञापनों पर अद्यतन किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति दर्ज नही हुई है। जबकि नवागत कुलपति महोदय के आदेशानुसार पुनः आपत्ति दर्ज कराने हेतु यदि कोई हो, तो विश्वविद्यालय के पत्रांक 5596/कु0का0/2025 दिनांक 07.02.2025 द्वारा विश्वविद्यालय वेबसाइट पर दिनांक 07.02.2025 से 20.02.2025 तक आपत्ति आंमत्रित की गई किन्तु इस पर भी किसी के द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई है।

अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0 महोदय द्वारा दिनांक 16.02.2025 को विश्वविद्यालय के निरीक्षण/भ्रमण के क्रम में निर्देश दिए गए कि उक्त आरक्षण रोस्टर एवं भर्ती प्रक्रिया से शासन को भी संज्ञानित करने हेतु पत्र प्रेषित किया जाये। अतः शासन को उक्त आशय का पत्र प्रेषित करने हेतु मा0 कार्यपरिषद से अनुमति की अपेक्षा है। साथ ही शासन के निर्देश एवं मंशानुरूप उक्त शैक्षिक पदों पर सम्पूर्ण भर्ती प्रक्रिया समर्थ पोर्टल के माध्यम से सम्पादित की जानी है। अतएव शैक्षिक पदों पर उक्त भर्ती प्रक्रिया समर्थ पोर्टल के माध्यम से कराये जाने हेतु कार्यपरिषद की अनुमति अपेक्षित है **(परिशिष्ट–7)**।

निर्णय– मा0 कार्य परिषद द्वारा सर्वसम्मति से प्रश्नगत उक्त प्रकरण पर विचार करते हुए आरक्षण रोस्टर एवं भर्ती प्रक्रिया से शासन को भी संज्ञानित करने हेतु पत्र प्रेषण का निर्णय दिया तथा शासन के निर्देश एवं मंशानुरूप शैक्षिक पदों पर सम्पूर्ण भर्ती प्रक्रिया समर्थ पोर्टल के माध्यम से ही किये जाने का निर्देश दिया।

मद सं0 8– शासनादेश संख्या– यू0ओ0–4/सत्तर–4–2024 दिनांक 10 सितम्बर 2024 द्वारा सरकारी/अर्द्धसरकारी भवनों पर रेस्को मोड में सोलर रूफटॉप संयत्रों की स्थापना के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया है।

अवगत कराना है कि कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 27.07.2024 द्वारा मा0 कुलपति जी की अनुमति से बिन्दु संख्या– 1 में लिया गया निर्णय "मा0 कुलपति जी की अनुमति से अन्य बिन्दु पर चर्चा में विश्वविद्यालय मुख्य परिसर के नवनिर्मित भवनों पर रूफ टॉप सोलर पैनल लगाए जाने पर कार्य परिषद द्वारा सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की गई तथा उक्त का अनुमानित आगणन शीघ्र बनवाकर अग्रतेर आवश्यक कार्यवाही हेतु कुलसचिव को निर्देशित किया", कार्यपरिषद के विचारार्थ पुनः प्रस्तुत है **(परिशिष्ट–8)**।

निर्णय– कार्य परिषद द्वारा उक्त प्रश्नगत प्रकरण में नवनिर्मित भवनों पर रूफ टॉप सोलर पैनल लगाये जाने हेतु रेस्को मोड की सेवा शर्तों पर विचार किया तथा विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय में रूफ टॉप सोलर पैनल आवश्यकतानुसार स्वयं के वित्तीय फण्ड से लगाया जाए।

मद सं0 9– नवस्थापित विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय के परीक्षा सम्बन्धी आदि आँकड़ों को सुरक्षित रखने हेतु विश्वविद्यालय का अपना निजी सर्वर स्थापित/क्रय किये जाने पर विचार।

Email- registrar.msduniversity.azamgarh@gmail.com
Website: www.msdsu.ac.in

निर्णय– कार्य परिषद द्वारा निर्देशित किया कि विश्वविद्यालय के परीक्षा सम्बन्धी एवं अन्य आँकड़ों को सुरक्षित रखने हेतु विश्वविद्यालय का अपना निजी सर्वर होना आवश्यक है। इस लिए सर्वर क्रय किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही शीघ्र शुरू कर दी जाए।

मद सं0 10– नवस्थापित विश्वविद्यालय के नवनिर्मित छात्रावासों के संचालन/आवंटन हेतु छात्रावास नियमावली सत्र 2025–26 के अनुमोदन प्रदान किये जाने पर विचार **(परिशिष्ट–9)**।

निर्णय– विश्वविद्यालय द्वारा तैयार छात्रावास नियमावली सत्र 2025–26 को कार्य परिषद द्वारा अवलोकन कर विचारोपरान्त यह निर्देशित किया कि संशोधित शुल्क के क्रम संख्या– 4 में वर्णित ''मेस शुल्क 8000.00 प्रति चार माह (रू0 2000.00 प्रति माह के दर से)'' मे ''लगभग'' शब्द को जोड़ा जाए। तत्पश्चात् कार्य परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद सं0 11– महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय, आजमगढ़ एवं समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकों हेतु **शिक्षक कल्याण कोष/टीचर वेलफेयर स्कीम** की नियमावली तैयार कर मा0 कार्यपरिषद के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। **(परिशिष्ट–10)**।

निर्णय– विश्वविद्यालय एवं समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों को शिक्षकों हेतु शिक्षक कल्याण कोष/टीचर वेलफेयर स्कीम नियमावली को कार्य परिषद द्वारा गहनता से अध्ययन करने पश्चात् यह निर्देशित किया कि नियमावली के क्रम सं–10 में वर्णित ''आश्रित'' शब्द के साथ ''शासनादेश के अनुसार'' तथा क्रम सं–11 में वर्णित ''सम्बन्धित महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के पदाधिकारी (अध्यक्ष/महामंत्री)'' में ''प्राचार्य/विभागाध्यक्ष'' शब्द अवश्य जोड़ा जाए। तत्पश्चात् कार्य परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

मा0 कुलपति जी की अनुमति से अन्य बिन्दुएँ–

बिन्दु सं0 1– विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक विभागों के उपयोगार्थ एन्ड्राएड स्मार्ट बोर्ड क्रय किये जाने हेतु जेम पोर्टल पर दिनांक 07.09.2024 को बिड अपलोड की गई। L1 स्थिति प्राप्त फर्म ACCU BIOTECH द्वारा डेमो प्रस्तुत किया गया।

यह भी सूच्य है कि क्रय समिति की दिनांक 23.11.2024 व 04.01.2025 को सम्पन्न हुई बैठक में सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से यह संस्तुति गयी कि उक्त डेमो ACCU BIOTECH बिड के विशिष्टीकरण, नियम एवं शर्तों के अनुरूप नहीं पायी गयी। मा0 कार्य परिषद द्वारा विचार–विमर्श के उपरांत सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि जेम पोर्टल पर दिनांक 07.09.2024 को अपलोड की गयी निविदा को निरस्त करते हुए विश्वविद्यालय हित एवं छात्र हित में एन्ड्राएड स्मार्ट बोर्ड के साथ ऑनलाइन (UPS) भी क्रय किया जाना अति आवश्यक है। इसलिए जेम पोर्टल उक्त बिड को निरस्त करते हुए एन्ड्राएड स्मार्ट बोर्ड के साथ ऑनलाइन (UPS) को भी क्रय करने हेतु विशिष्टीकरण एवं संख्या को सम्मिलित करते हुए जेम पोर्टल पर नयी बिड अपलोड किया जाना समीचीन होगा।

महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय, आजमगढ़

Email- registrar.msduniversity.azamgarh@gmail.com

Website: www.msdsu.ac.in

बिन्दु सं0 2– विश्वविद्यालय परिसर में अवस्थित पुरूष छात्रावास का नाम ''छत्रपति शिवाजी महाराज पुरूष छात्रावास'' रखे जाने पर मा0 कार्य परिषद द्वारा विचारोपरांत सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0 3– मा0 कार्य परिषद द्वारा विचारोपरांत यह निर्देशित किया गया कि आगामी दीक्षांत समारोह में मेडल वितरण हेतु कुछ आवश्यक नियम बनाये जाने हैं जिस हेतु एक समिति का गठन शीघ्र किया जाए।

बिन्दु सं0 4– सी0एस0आर0 के माध्यम से छात्र–छात्राओं, शिक्षकगण, कर्मचारियों आदि की सुविधा हेतु 02 ई–रिक्शा एवं विश्वविद्यालय मुख्य मार्ग पर रोड़ के दोनों तरफ टीन शेड का कार्य किया जा रहा है। जिस हेतु कार्य परिषद द्वारा हर्ष व्यक्त किया गया।

बिन्दु सं0 5– विश्वविद्यालय/प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ विश्वविद्यालय हित में MoU किये जाने हेतु मा0 कार्य परिषद द्वारा सर्वसम्मति से सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गई।

अन्त में मा0 कुलपति जी की आज्ञा से कुलसचिव द्वारा अध्यक्ष महोदय एवं समस्त कार्य परिषद सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक का समापन किया गया।

(विशेश्वर प्रसाद)
कुलसचिव एवं सचिव–कार्य परिषद

(प्रो0 संजीव कुमार)
मा0 कुलपति एवं अध्यक्ष–कार्य परिषद